मध्यप्रदेश शासन
विमानन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

//विज्ञप्ति//

भोपाल,दिनांक 29 मई, 2007

मध्यप्रदेश के नीमच, खरगौन, शिवपुरी, गुना, सागर, सतना, पचमढ़ी, सीधी, रीवा, छिन्दवाड़ा, झाबुआ, बालाघाट जिलो में स्थित हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, उड्डयन गतिविधियों के साथ–साथ विमान संधारण, अनुरक्षण एवं अभियंता प्रशिक्षण आदि जैसी सुविधाएं विकसित करने के प्रस्ताव इच्छुक एजेन्सियों से आमंत्रित किये जाते हैं ।

हवाई पट्टियॉ जिन शर्तों पर उक्त गतिविधियों के संचालन के लिए दी जायेंगी, का विस्तृत विवरण एवं निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप **संचालक, विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के मंत्रालय, वल्लभ–भवन, भोपाल स्थित कक्ष क्रमांक 302 डी से रूपये 500/– का बैक ड्राफ्ट (संचालक विमानन के नाम) जमा कर कार्यालयीन समय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 14.06.2007 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है ।**

सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 15.06.2007 को अपरान्ह 3.00 बजे तक संचालक, विमानन संचालनालय,म0प्र0भोपाल के मंत्रालय, वल्लभ–भवन स्थित कक्ष क्रमांक 302डी में प्राप्त किये जायेंगे । **प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 15.06.2007 को सायं 4.00 बजे खोले जाएंगे** । प्रस्तावों के संबंध में अंतिम निर्णय म0प्र0शासन, विमानन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । **जानकारी दूरभाष क्रमांक 0755– 2441746, 2441193, 2641271 पर प्राप्त की जा सकती है ।**

(इकबाल सिंह बैंस)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विमानन विभाग

मध्यप्रदेश स्थित हवाई पट्टियों पर गतिविधियां संचालित करने हेतु शर्तें

(1) आवेदक संस्था संगत विधिक प्रावधान अंतर्गत पंजीकृत हो।

(2) प्रत्येक हवाई पट्टी के लिए अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाए। एक आवेदन पत्र में एक से अधिक हवाई पट्टी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(3) आवेदक संस्था को मुख्यतः पायलट प्रशिक्षण एवं उड्डयन गतिविधियों हेतु हवाई पट्टी दी जायेगी, किन्तु इनके साथ साथ संस्था द्वारा पार्किंग, वायुयान अनुरक्षण, एवं वायुयान अभियन्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा विमानन से संबंधित अन्य गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। इनका उल्लेख आवेदक संस्था द्वारा आवेदन पत्र में किया जाए।

(4) संस्था द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरान्त संचालित गतिविधियों के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष संचालक, विमानन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) संस्था द्वारा उड़ान/पार्किंग/संधारण /पायलट प्रशिक्षण/वायुयान अनुरक्षण एवं वायुयान अभियंता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु महानिदेशक नागर विमानन भारत सरकार नई दिल्ली की आवश्यक अनुमति प्राप्त की जावेगी तथा उनके द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जावेगा ।

(6) हवाई पट्टियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा / निरीक्षण कलेक्टर द्वारा समय–समय पर की जायेगी तथा कलेक्टर द्वारा दिये गये सुझावों को संस्था द्वारा मान्य किया जावेगा।

(7) संस्था द्वारा आवश्यक संचार के लिये व्ही.एच.एफ. उपकरण के क्रय तथा संधारण का व्यय स्वयं वहन किया जायेगा।

(8) राज्य शासन हवाई पट्टियों पर अन्य किसी भी संस्था को आवश्यक शर्तों पर प्रशिक्षण उड़ाने संचालित करने की अनुमति जारी कर सकेगा परन्तु एक हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति केवल एक ही संस्था को दी जाएगी।

(9) राज्य एवं केन्द्र शासन के विमान/हैलीकाप्टर की उड़ाने निर्बाध रूप से हवाई पट्टी पर संचालित होगी और संस्था द्वारा स्थापित/संधारित व्ही.एच.एफ. उपकरण का निःशुल्क उपयोग किया जा सकेगा। राज्य/केन्द्र शासन के उपक्रम, प्रायवेट सेक्टर के नानशेड्यूल वायुयान की लेण्डिंग/टेक ऑफ एवं पार्किंग कलेक्टर की अनुमति से की जा सकेगी। यदि नियमित उड़ान कण्डक्ट करने का प्रस्ताव राज्य शासन को मिलेगा तो अनुबंधकर्ता की सहमति से संस्था के हितों को संरक्षित करते हुए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी, तदानुरूप इस अनुबंध में परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

(10) संस्था द्वारा न्यूनतम रू. 2.50 करोड़ की परिसम्पत्ति होने के संतोषजनक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(11) संस्था लायसेंस शुल्क संचालक विमानन को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेगी। वार्षिक लायसेंस फीस की सम्पूर्ण राशि अग्रिम के रूप में अनुबंध के पूर्व एकमुश्त में जमा करनी होगी। आगामी प्रत्येक वर्ष में देय लायसेंस शुल्क शासन द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रतिवर्ष जमा किया जायेगा।

(12) हवाई पट्टी के उपयोग हेतु उक्त निर्धारित शुल्क में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि स्वमेव हो जायेगी, जो संस्था द्वारा भुगतान की जावेगी । इसके लिये पृथक से कोई अनुबंध/आदेश जारी नहीं होगा ।

(13) लायसेंस अवधि (10 वर्ष)समाप्त होने पर अनुबंधित संस्था द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य शासन द्वारा तत्समय शासन द्वारा निर्धारित लायसेंस शुल्क एवं शर्तों पर नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

(14) हवाई पट्टी एवं उससे संबद्ध भूमि पर जो भी अधोसंरचनाएं संस्था को उपयोगार्थ दी जायेंगी, का संधारण कम से कम उस स्तर का संस्था द्वारा रखना अनिवार्य होगा जिस स्तर पर उपयोगार्थ उसे वह दी गई हो ।

(15) उपरोक्त कंडिका (14) के अध्यधीन संपूर्ण हवाई पट्टी के संधारण का उत्तरदायित्व उसकी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित संस्था का होगा ।

(16) संस्था अपने विमान/हैलीकाप्टर के संधारण/सुरक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(17) संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थल पर समस्त संधारण एवं नवीन निर्माण कार्य किया जा सकेगा । ऐसा करते समय उसे महानिदेशक, नागर एवं विमानन, भारत सरकार की शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

(18) समस्त निर्माण/संधारण कार्य का विस्तृत प्राक्कलन स्पेसीफीकेशन एवं अभिन्यास संस्था द्वारा तैयार किया जावेगा तथा वह संबंधित कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण के अभिमत सहित संचालक विमानन को प्रस्तुत करेगा । संचालक विमानन की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत वह स्वीकृत कार्य ज़िला कलेक्टर के नियंत्रण एवं निर्देशन में अनुमोदित प्राक्कलन एवं अभिन्यास के अनुसार पूर्ण करेगी। इस संबंध में विवाद की स्थिति में संचालक, विमानन का निर्णय अंतिम होगा ।

(19) इन शर्तों के तहत दी गई अनुज्ञप्ति निरस्त होने या अनुज्ञप्ति की निर्धारित समयावधि समाप्त होने पर संस्था द्वारा निर्मित स्थाई/अस्थाई किसी भी परिसंपत्ति का मुआवजा संस्था को देय नहीं होगा, परन्तु वह संचालक, विमानन की अनुमति से उसके द्वारा निर्मित अस्थाई परिसंपत्तियों को हटा सकेगा। स्थाई परिसंपत्तियों का स्वामित्व राज्य शासन में निहित हो जायेगा।

(20) संस्था द्वारा निर्मित सम्पत्ति के विरूद्ध वह कोई ऋण इत्यादि प्राप्त नहीं करेगी और न ही उसे विक्रय/बंधक/गिरवी आदि रखा जा सकेगा । न ही वे किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी/संस्था को इसके उपयोग या स्थानांतरित करने की अनुमति दे सकेंगे।

(21) संस्था द्वारा विमान की सुरक्षा, पर्यावरण, अग्नि, चिकित्सा आदि के संबंध में बनाए गए बैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जावेगा ।

(22) संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों, संधारण, निर्माण कार्यों आदि का निरीक्षण महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार, राज्य शासन, संचालक विमानन तथा संबंधित जिले के कलेक्टर या इनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

(23) पार्किंग व्यवस्था के लिये पार्किंग–वे के निर्माण पर व्यय संस्था को वहन करना होगा तथा वह मुख्य हवाई पट्टियॉ उड़ान संचालन हेतु मुक्त रखेंगे ।

(24) संस्था के विमान के सुरक्षा व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी, राज्य पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होने पर कलेक्टर से समन्वय कर भुगतान आधारित पुलिस की व्यवस्था पुलिस की उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी ।

(25) राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त निर्धारित शर्तों में संबंधित संस्था की सहमति से समय–समय पर परिवर्तन, संशोधन कर सकेगा । उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का पालन संस्था द्वारा न किये जाने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा तदाशय की सूचना संस्था को दी जाएगी एवं संस्था से अपेक्षा की जाएगी वह शर्त उल्लंघन को निश्चित अवधि में समाप्त करें । शर्त उल्लंघन निरंतर रहने पर राज्य शासन संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर आवश्यक सुनवाई का अवसर देकर यह अनुमति निरस्त कर सकेगा ।

(26) राज्य शासन अनुबंध अवधि के दौरान बिना संस्था की पूर्व अनुमति लिये किसी भी समय हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तार हेतु पूंजीगत व्यय कर सकेगा।

(27) अनुबंध निष्पादन के पूर्व संस्था रूपये 2.50 लाख की राशि सावधि जमा (एफडीआर)/संचालक द्वारा स्वीकृत अन्य रूप में संचालक, विमानन, को सुरक्षा निधि के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(28) अनुबंध में उत्पन्न किसी भी परिवाद का न्यायाधिकार क्षेत्र भोपाल होगा।

<u>आवेदन पत्र क्रमांक</u>– एक

<u>(एक हवाई पट्टी के लिए एक ही आवेदन पत्र का उपयोग करें)</u>

पायलट प्रशिक्षण, उड्डयन गतिविधियों के साथ–साथ विमान संधारण, अनुरक्षण एवं अभियंता प्रशिक्षण आदि जैसी सुविधाएं विकसित करने हेतु प्रस्ताव

–तकनीकी प्रस्ताव–

आवेदित हवाई पट्टी का नाम...........................जिला.......................म0प्र0

1. आवेदक संस्था का नाम ....
   एवं पूरा पता– ....

2. संस्था का पंजीकरण विवरण
   (प्रमाण सहित) (शर्त क्र..(1) के अनुसार) ....

3. डी.जी.सी.ए. के अंतर्गत पंजीकरण
   अथवा संबद्ध हो तो उसका विवरण
   (प्रमाण पत्र सहित) ....

4. आवेदक संस्था द्वारा वर्तमान में
   संचालित गतिविधियों का विवरण :–
   (उपलब्ध संसाधन एवं सुविधाओं
   का ब्यौरा संलग्न करे, (प्रमाण
   पत्र सहित) ....

5. वित्तीय सक्षमताः–
   (पंजीकृत चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा
   प्रमाणीकृत) (शर्त क्र. (10)के अनुसार) ....

6. आवेदक संस्था द्वारा आवेदित हवाई
   पट्टी पर संचालित किए जाने हेतु
   प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण एवं
   उन्हें प्रारंभ किए जाने हेतु समयावधि
   का उल्लेख किया जाएः–
   (संसाधन एवं सुविधाओं का ब्यौरा
   संलग्न करें) ....

7. वर्तमान में संस्था के पास प्रबंधकीय
   एवं तकनीकी क्षमता की उपलब्धता
   का विवरण ।
   (जानकारी संलग्न करें) ....

8. वर्तमान में संस्था के पास विमानन से संबंधित एयरक्राफ्ट/अन्य उपकरणों का विवरण (जानकारी संलग्न करें) ....

(संस्था द्वारा अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर)
नामः————————————
पता————————————
——————————————
दूरभाष/मोबा.नं.......................................

नोटः— (i) उक्त बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित विवरण के समर्थन में दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें ।

(ii) संस्था द्वारा **लिफाफा कं. ''अ'' में आवेदन पत्र कमांक ''एक''** (तकनीकी प्रस्ताव) **लिफाफा कं. ''ब'' में आवेदन पत्र कमांक ''दो''** (वित्तीय प्रस्ताव) रखें जाएं तथा **दोनों लिफाफा कं. ''अ'' एवं ''ब'' को लिफाफा कमांक ''स'' में** रखा जाकर निर्धारित तिथि के पूर्व तक संचालक विमानन के मंत्रालय स्थित कक्ष कमांक 302डी में प्रस्तुत किया जाए । तीनों लिफाफे सीलबंद हों, प्रत्येक लिफाफे में जिस हवाई पट्टी हेतु आवेदक संस्था द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उस हवाई पट्टी के नाम का उल्लेख प्रत्येक लिफाफे के ऊपर किया जाएं ।

(iii) आवेदन पत्र हेतु निर्धारित लिफाफे में ही संबंधित आवेदन पत्र रखा जाए । गलत लिफाफे में आवेदन पत्र रखने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा ।

<u>आवेदन पत्र क्रमांक</u>– दो

<u>(एक हवाई पट्‌टी के लिए एक ही आवेदन पत्र का उपयोग करें)</u>

पायलट प्रशिक्षण, उड्‌डयन गतिविधियों के साथ–साथ विमान संधारण, अनुरक्षण एवं अभियंता प्रशिक्षण आदि जैसी सुविधाएं विकसित करने हेतु प्रस्ताव

–वित्तीय प्रस्ताव–

आवेदित हवाई पट्‌टी का नाम............................जिला.......................म0प्र0

1. आवेदित हवाई पट्‌टी पर शासन को
   देय वार्षिक लायसेंस शुल्क राशि **(अंकों में)** ....

(शब्दों में)...

....

....

(संस्था द्वारा अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर)
नामः————————————
पता————————————
———————————————
दूरभाष / मोबा.नं......................................

नोटः– (i) उक्त बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित विवरण के समर्थन में दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें ।

(ii) संस्था द्वारा **लिफाफा क्रं. ''अ'' में आवेदन पत्र क्रमांक ''एक''** (तकनीकी प्रस्ताव) **लिफाफा क्रं. ''ब'' में आवेदन पत्र क्रमांक ''दो''** (वित्तीय प्रस्ताव) रखें जाएं तथा **दोनों लिफाफा क्रं. ''अ'' एवं ''ब'' को लिफाफा क्रमांक ''स'' में** रखा जाकर निर्धारित तिथि के पूर्व तक संचालक विमानन के मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 302डी में प्रस्तुत किया जाए । तीनों लिफाफे सीलबंद हों, प्रत्येक लिफाफे में जिस हवाई पट्‌टी हेतु आवेदक संस्था द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, उस हवाई पट्‌टी के नाम का उल्लेख प्रत्येक लिफाफे के ऊपर किया जाएं ।

(iii) आवेदन पत्र हेतु निर्धारित लिफाफे में ही संबंधित आवेदन पत्र रखा जाए । गलत लिफाफे में आवेदन पत्र रखने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा ।